UPVR010075092026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–01 वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती संध्या श्रीवास्तव (एच०जे०एस०)

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः– 2658 सन् 2026

1– अजय राजभर पुत्र स्व0 लालधारी

2– शिवमोहन पुत्र स्व0 लल्लन राजभर

निवासीगण ग्राम समोगरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०संख्या– 132/2026

धारा– 249(a) बी०एन०एस०

थाना– फूलपुर, वाराणसी।

11.08.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण अजय राजभर एवं शिवमोहन की ओर से मु०अ०संख्या–132/2026 धारा–249(a) बी०एन०एस० थाना– फूलपुर, वाराणसी में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरूण कुमार सिंह की ओर से एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी है कि– आज दिनांक 26.4.26 को रात्रि लगभग 10:00 बजे गावा में, थानाध्यक्ष महोदय, फूलपुर (थाना) जनपद वाराणसी सादर अवगत कराना है कि फैक्टरी चलाता है। फैक्टरी बंद कर अपने चार पहिया वाहन से गाडी नंबर मेरा भतीजा मनीष कुमार सिंह S/O स्व० गुलाब सिंह जो घ ामहापुर भरथरा पत्तल बनाने की GJ15CQ7194 से घर आ रहा था रास्ते में लालचन्द प्रजापति के पास, आशीष राजभर लालचन्द, गोविंद राजभर पुत्र जंगाली और अज्ञात 5–7 लोग की संख्या में लालचन्द प्रजापति के घर के सामने रखी ईट चट्टे के पीछे से मेरे भतीजे के गाड़ी के ऊपर एक राय होकर हमला कर दिए ईंट से गाड़ी में मेरे भतीजे को हत्या के उद्देश्य से ईंट से मारने लगे जिससे पूरे शरीर पर गंभीर चोटे आई है। विपक्षीगण मेरे भतीजे से रंजिश रखते हैं इसकी हत्या कर दी मेरे भतीजे के गले से सोने की चौन भी गायब है। अतः निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पता उपरोक्त का स्थायी निवासी है व किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है । आवेदकगण/अभियुक्तगण सम्भ्रान्त परिवार के सदस्य है व कानून में आस्था व विश्वास रखते है । आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है , इसके पहले कोई भी प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न तो

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.08.11 14:58:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लम्बित है , न ही दाखिल किया गया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण को महज जेरवार, परेशान व बेइज्जत करने की गरज से रंजिशन उक्त मुकदमें में मुल्जिम बना दिया गया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण विल्कुल निर्दोष है उनको उक्त घटना से कोई लेना देना नही है । आवेदकगण/अभियुक्तगण के उपर अन्तग्रत धारा का जुर्म किसी भी किमत पर नही बनता है , क्योकि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई भी ऐसा अपराध कारित नही किया गया है , न ही किसी को आश्रय दिया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है । आवेदकगण/अभियुक्तगण के उपर अपराधी को संश्रय देने का आरोप लगाया गया है , जो निराधार है । उक्त मुकदमें में आवेदकगण/अभियुक्तगण नामित नही है , बल्कि दौरान विवेचना नाम प्रकाश में आया है । इलाका पुलिस महज रिश्तेदार होने के वजह से उक्त मुकदमें में मुल्जिम बना दिया है । आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान विवेचना पुलस को पूरा सहयोग प्रदान किया है और दौरान विचारण भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा तथा हर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा । उक्त मुकदमें में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है । आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत के उपरान्त किसी भी साक्ष्य या साक्षी को प्रभावित नही करेगा । उक्त मुकदमें में 7 वर्ष से कम सजा का प्राविधान है तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्ल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन के श्रेणी की परिधी में आता है । आवेदकगण/अभियुक्तगण इसी जिले के स्थायी निवासी है। जमानत के पश्चात् पलायन होने की कोई सम्भावना नही है । आवेदकगण/ अभियुक्तगण अपना जमानत व मुचलका देने को तैयार है । उपरोक्त कथनो के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के परिप्रेक्ष्य में जमानत प्रार्थना पत्र एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर मृतक मनीष कुमार सिंह की हत्या से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्तगण आशीष राजभर व मनीष राजभर को प्रश्रय देने के आरोप में धारा–249A BNSके तहत अभियोग है। जबकि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि, आवेदकगण/ अभियुक्तगण ने किसी भी अपराधी को आश्रय नहीं दिया है, बल्कि इलाका पुलिस ने महज रिश्तेदार होने की वजह से उक्त मुकदमें में मुल्जिम बना दिया है। मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित् किया जा चुका है, जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। मामले में अभियुक्तगण की संलिप्तता साक्ष्योपरांत ही तय की जा सकती है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर आरोपित धारा–249A BNS में 05 वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान है। मामले में सह अभियुक्तगणो की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है ।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० 2023 लाईव लॉ (एस०सी०) 233 के प्रकाश में अभियुक्तगण

सशर्त अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी हैं। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/ अभियुक्तगण **अजय राजभर एवं शिवमोहन** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 2658/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की दशा में उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय / विवेचक की संतुष्टि का रूपये पचास–पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि वे–

1–गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

2–विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे और प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता केमाध्यम से उपस्थित होंगे। गवाहों की उपस्थिति पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

3–लगाये गये आरोप की प्रकृति के या अन्य किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे।

दिनांकः 11.08.2026

(संध्या श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01 वाराणसी।
जे०ओ० कोड यू०पी०6203

,

Steno-
jitendra Srivastava